The Coastal Aquaculture Authority Rules, 2005
(Hindi and English versions)

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II, खंड 3, उप-खंड(i)

PART II-Section3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 528] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2005/ पौ-ा 1,1927

No. 528] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2005/PAUSA 1, 1927

कृ-ि मंत्रालय
(पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2005

सा.का.नि. 740 (आ) तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय - I
प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का नाम तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 होगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. परिभा-ाा

इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-

(क) "अधिनियम" से तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "फीस" से इन नियमों में नियत कोई फीस अभिप्रेत है;

(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों में उपबंध प्ररूप अभिप्रेत है;

(च) "मार्गदर्शक सिद्धान्त" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन बताए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त अभिप्रेत है;

(छ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के सदस्य अभिप्रेत हैं और जिसके अंतर्गत अध्यक्ष और सदस्य सचिव भी हैं;

(ज) "विनियम" से प्राधिकरण द्वारा बताए गए विनियम अभिप्रेत है;

(झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ञ) इसमें उपयोग किए गए शब्द और अभिव्यक्ति तथा जिनको परिभाि‍त नहीं किया गया है लेकिन तटीय जलकृि‍ प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) या पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 29) में परिभाि‍त किया गया हो, उक्त अधिनियम में क्रमशः अभिप्रेत होगा।

अध्याय -II

मार्गदर्शक सिद्धान्त

3. अधिनियम की धारा 3 के अधीन तटीय जलकृि‍ का नियमन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त इन नियमों के साथ यथासंलग्न मार्गदर्शक सिद्धान्त होंगे।

अध्याय -III

प्राधिकरण और इसकी समितियां

4. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन

अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें एवं निबंधन निम्नानुसार होंगीः-

(1) अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

(2) प्राधिकरण का सदस्य सचिव ऐसे वेतन और भत्तों तथा अवकाश, पेंशन और अन्य मामलों के संबंध में सेवा की ऐसी शर्तों के प्रति पात्र होगा जो समय-समय पर भारत सरकार के अपर सचिव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(3) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य अंशकालिक सदस्य होंगे। वे इस अधिनियम के अधीन किसी वेतन और भत्ते के लिए पात्र नहीं होंगे सिवाय इसके कि गैर-सरकारी सदस्य समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा यथानिर्धारित बैठक फीस और दैनिक भत्ते, मंहगाई भत्ते के लिए पात्र होंगे।

(4) अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (3) के खंड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च) और (छ) के अधीन नियुक्त सदस्य यदि वह कारण समाप्त हो जाता है जिसके कारण वे सदस्य नियुक्त किए गए हों तो वे सदस्य नहीं रहेंगे।

(5) अध्यक्ष केन्द्र सरकार को लिखित में नोटिस देकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार कर लेने के बाद अध्यक्ष को अपने पद से मुक्त माना जाएगा।

(6) कोई भी सदस्य अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है/ दे सकती है। सदस्य का पद उस तारीख से रिक्त हो जाएगा जिस तारीख को सदस्य का त्यागपत्र केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा अथवा अध्यक्ष को त्यागपत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी पहले हो, व्यतीत हो जाएगी।

(7) केन्द्र सरकार किसी भी ऐसे सदस्य को हटा सकती है, जो अधिनियम की धारा 5 के अधीन अनर्हक हो जाएगा।

(8) केन्द्र सरकार किसी भी सदस्य को तब भी हटा सकती है जब वह सदस्य अध्यक्ष के अनुमोदन के बिना प्राधिकरण की लगातार 3 बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहता है।

(9) सदस्य सचिव प्राधिकरण अथवा इसके द्वारा गठित समितियों द्वारा किए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने का जिम्मेदार होगा और नियमों के अधीन उसे सुपुर्द किए गए कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

(10) सदस्य सचिव अध्यक्ष से परामर्श करते हुए प्रत्येक बैठक के लिए तारीख, समय और स्थान निर्धारित करेगा तथा कार्यसूची भी तैयार करेगा।

(11) सदस्य सचिव को सामान्य अधीक्षण की शक्तियां प्राप्त होंगी जिनमें निम्नलिखित शामिल होंगीः-

(क) प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों को अवकाश प्रदान करना।

(ख) प्राधिकरण के सभी प्रभागों और अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखना;

(ग) नियमों के अधीन लेखे और संग्रह के स्थान अथवा यथापेक्षित कारोबार के दस्तावेज और रिकार्ड मंगवाना तथा निरीक्षण करना या करवाना;

(घ) आकस्मिकताओं, आपूर्तियों और सेवाओं के लिए तथा प्राधिकरण के कार्यालय के कार्यकरण के लिए अपेक्षित वस्तुओं की खरीदारी करने के लिए व्यय की मंजूरी देना;

(ङ) यथा व्यवहार्य यथाशीघ्र प्राधिकरण के समक्ष सभी महत्वपूर्ण कागजात और मामले प्रस्तुत करवाना; और

(च) प्राधिकरण के निर्णय को कार्यान्वित करने की पद्धति के निदेश जारी करना।

5. प्राधिकरण के कृत्य

प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य नि-पादित करेगाः-

(i) यह सुनिश्चित करना कि कृ-ि भूमि, लवण पटल भूमि, कच्छ वनस्पति, आर्द्र भूमि, वन भूमि, ग्राम के सामान्य प्रयोजन की भूमि और जन प्रयोजन की भूमि तथा रा-ट्रीय पार्क और अभयारण्यों को तटीय जलकृ-ि फार्मों में परिवर्तित न किया जाए ताकि तटीय समुदाय की जीविका का संरक्षण किया जा सके;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसे बनाए गए कार्यों सहित तटीय जलकृ-ि से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कार्य करना;

(iii) देश के सम्पूर्ण तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण करना और केन्द्र सरकार तथा राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को पर्यावरण अनुकूल तटीय जलकृ-ि विकास हासिल करने के लिए उपयुक्त नीतियां तैयार करने हेतु परामर्श देना;

(iv) तटीय जलकृ-ि में पर्यावरण अनुकूल तथा सतत् विकास हासिल करने के लिए आम अवसंरचना अर्थात् तटीय जलकृ-ि फार्मों और आम स्त्रोत उपचार प्रणाली द्वारा आम जल एकत्रण और प्रसार की गई नहरों का निर्माण करने हेतु राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को परामर्श और समर्थन प्रदान करना;

(v) जल जीवों और उनमें पालन किए गए कीटाणुओं तथा जलाशयों के रखरखाव के लिए सभी तटीय जलकृ-ि आदानों अर्थात् बीज, चारा, विकास अनुपूरक तथा रसायनों/ औ-ाधियों के लिए मानक निर्धारित करना;

(vi) पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अन्वे-ाण और अध्ययन/ स्कीमें चलाना तथा प्रायोजित करना और तटीय जलकृ-ि में पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करना;

(vii) तटीय जलकृ-ि से संबंधित मामलों के संबंध में आंकड़ों और अन्य वैज्ञानिक तथा सामाजिक-आर्थिक सूचना एकत्र करना और इनका प्रसार करना;

(viii) तटीय जलकृ-ि के सतत् विकास और इससे संबंधित गतिविधियों के संबंध में मैनुअल, संहिता और श्रव्य-दृश्य सामग्री तैयार करना;

(ix) जलकृ-ि के प्रयोजनार्थ तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग और उचित तथा सामान्य भागीदारी के बारे में एक व्यापक कार्यक्रम मीडिया तथा संचार के अन्य माध्यमों के जरिए आयोजित करना;

(x) जलकृ-ि प्रयोजनों के लिए तटीय संसाधनों के सतत् उपयोग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए/ लग सकने वाले व्यक्तियों की योजना बनाना और उनके लिए प्रशिक्षण आयोजन करना;

(xi) तकनीकी मैनुअल, आचार संहिता आदि तैयार करने के लिए प्राधिकरण के सदस्यों और अधिकारियों, रा-ट्रीय अनुसंधान संस्थानों/ राज्य सरकारों/ नागरिक सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को शामिल करके विभिन्न तकनीकी समितियों, उप समितियों, कार्यसमूहों, उप समूहों का गठन करना;

(xii) फार्म के स्वामियों को स्टॉक रखने के घनत्व, अवशि-ट स्तर/ एंटीबायटिक, रसायनों और अन्य औ-ाधीय सक्रिय यौगिकों के उपयोग सहित तटीय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को न्यूनतम करने के लिए ऐसे उपान्तर करने के लिए निदेश देना;

(xiii) तटीय जलकृ-ि पद्धतियों की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए मौसमी फार्मों को बंद करने के आदेश देना;

(xiv) पर्यावरणीय स्थिरता बनाए रखने और जीविका का संरक्षण करने के हित में या तटीय पर्यावरण के हित में आवश्यक समझे जाने वाले किसी अन्य कारण से तटीय जलकृ-ि फार्म को बंद करने के आदेश देना;

(xv) उन मामलों में रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र रद्द करना जिनमें इस बात की संतु-टि हो कि किसी व्यक्ति ने गलत सूचना देकर नियम 11 के उप नियम(1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है अथवा उसने इन नियमों के किसी उपबंध या रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में उल्लिखित शर्तों का उल्लंघन किया है, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध कोई अन्य कार्रवाई बिना किसी प्रतिकूल प्रभाव डाले कर सकेगाः

परन्तु ऐसा प्रमाण-पत्र को रद्द करने से पहले संबंधित व्यक्ति को अपना अभ्यावेदन करने का अवसर देगा, परन्तु यह भी कि आदेश के साथ रद्द करने के कारणों की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(xvi) तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण के लिए पद सृजन करने हेतु भर्ती नियम बनाना और उस समय तक आदेश जारी करना कि इन पदों पर भर्ती केन्द्र सरकार में समतुल्य पदों के लिए लागू भर्ती नियमों के आधार पर की जाएगी;

(xvii) प्राधिकरण के कर्मचारियों की सेवाओं के लिए वेतन, अवकाश, भत्ते और अन्य शर्तें तथा निबंधने निर्धारित करना, परन्तु कि तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण में सभी कर्मचारियों के संबंध में वेतन, अवकाश, भत्ते, सेवा की अन्य शर्तें और सुविधाएं तथा वेतन अग्रिम, वाहन अग्रिम, गृह निर्माण और आदि जैसी रियायतें ऐसे नियमों और आदेशों के अनुसार नियमित की जाएंगी, जो उन स्थानों पर तैनात तत्स्थानी श्रेणी अथवा स्तर के केन्द्र सरकार के अधिकारियों/ कर्मचारियों के लिए उस समय लागू होंगी, यह स्थिति तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण द्वारा अलग से नियम बनाने तक लागू रहेगी;

(xviii) प्रौद्योगिकी, कृ-ि व्यवसाय आदि में परिवर्तन को ध्यान देकर तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तों मे ऐस परिवर्तन समाहित करके समय-समय पर नियम 3 के अधीन मार्गदर्शक सिद्धान्तों को संशोधित करने के लिए सरकार को उचित सिफारिश करना ताकि पर्यावरण संरक्षण और तटीय समुदायों की जीविका सुनिश्चित रह सके।

अध्याय -IV

एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य

6. एक सदस्य प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य। (क) अधिनियम की धारा *11* की उप धारा *(2)* के अधीन नियुक्त किए जाने वाले एक सदस्य प्राधिकारी को कर्मकारों और प्रबंधन के बीच तय की गई क्षतिपूर्ति के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट की निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी।

(क) कार्मिकों को अदा की जाने वाली क्षतिपूर्ति तय करते समय कर्मकारों के लिए आय में होने वाली संभावित कमी, उनके लिए वैकल्पिक रोजगार के अवसर और नियोक्ता की भुगतान करने की क्षमता को हिसाब में लिया जाए।

(ख) यह सुनिश्चित करने के प्रयोजनार्थ कि तय की गई क्षतिपूर्ति की राशि कर्मकारों को अदा की जाती है, एक सदस्य प्राधिकारी संबंधित राज्य के भू राजस्व नियमों के अधीन कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

7. किसी भी तटीय जलकृ-ि भूमि पर प्रवेश करने की शक्ति। किसी भी तटीय जलकृ-ि भूमि, तालाब, पटल, अथवा परिसर पर प्रवेश करने के लिए प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति की शक्तियां निम्नलिखित के अध्यधीन होंगीः-

(i) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को धारा में उल्लिखित कार्यों को करने के लिए पुलिस कर्मचारियों सहित एक अथवा एक से अधिक व्यक्तियों को साथ ले जाने की शक्ति प्राप्त होगी;

(ii) किसी प्रकार का निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच करने और किसी ढांचे को हटाने या गिराने के प्राधिकरण के निर्णय की सूचना तटीय जलकृ-ि भूमि, तालाब, पटल या परिसर के स्वामी या उसके प्रतिनिधि को लिखित में कम से कम 24 घंटे अग्रिम में देनी होगी और यह सूचना उसे रजिस्ट्रीकृत डाक या संदेशवाहक द्वारा देनी होगी। इसके अतिरिक्त, ऐसी सूचना को तटीय जलकृ-ि फार्म के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर भी चिपकाना होगा। यदि ऐसे नोटिस को स्वीकार करने से कोई स्वामी इंकार करता है तो चिपकाया गया नोटिस उसे दिया गया नोटिस समझा जाएगा;

(iii) अधिनियम की धारा 12 में उल्लिखित गतिविधियां स्वामी अथवा उसके प्रतिनिध की उपस्थिति, यदि वह ऐसा चाहता है तो, में चलाई जाएंगी। स्वामी को निरीक्षण, सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच में सहायता करने के लिए अपने कर्मचारी (दो से अधिक नहीं) को साथ रखने की अनुमति भी दी जाए;

(iv) किसी ढांचे को हटाने अथवा गिराने का कार्य पंचनामे के अधीन किया जाना चाहिए और जहां कहीं संभव हो, वहां स्थानीय निकाय के एक प्रतिनिधि को दल में शामिल करना चाहिए तथा पंचनामे में उसके हस्ताक्षर करवाने चाहिए;

(v) अधिनियम की धारा 12 के खंड (क) और (ख) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा अधिकृत व्यक्ति (यों) द्वारा यह कृत्य केवल दिन अर्थात् सूर्योदय के बाद तथा सूर्यास्त से पहले किया जाएगा।

(vi) अधिनियम की धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (यों) का यह प्रयास होगा कि ऐसा कृत्य नागरिक ढांचों, उपकरणों, मशीनों अथवा खड़ी फसल को कोई क्षति पहुंचाए बिना किए जाएं।

8. ऐसे कार्य या वस्तुएं जो अधिनियम की धारा १२ के खंड (ग) के अधीन किए जाने हैं: प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित किया जायेगाः-

(1) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स, रसायनों और अन्य औ-ाधीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ जल, मृदा और पाले जा रहे पशुओं के नमूने लेना और इन्हें एकत्र करने, विश्ले-ाण करने, सूचना देने और अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया अपनाना।

(2) नियम 7 के उपबंधों के अधीन किसी ऐसे तटीय जलकृ-ि फार्म को हटाना अथवा ध्वस्त करना जो प्रदू-ाण फैला रहा हो और जिसे अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (घ) के अधीन पारित आदेश देने के बाद हटाया अथवा ध्वस्त न किया गया था।

(3) ऐसे तटीय जलकृ-ि फार्म से पानी निकाल देना अथवा फसल न-ट कर देना जो प्रदू-ाण फैला रहा हो और जिसके संबंध में अधिनियम की धारा 11 की उप धारा (1) के खंड (ङ) के अधीन पारित उचित आदेश की अनुपालना न की गई हो।

(4) प्रतिबंधित एंटीबायोटिक्स रसायनों और अन्य औ-ाधीय सक्रिय यौगिकों का पता लगाने के प्रयोजन के लिए मृदा, जल, पालतू पशुओं और अन्य पालतू जल जीवों को विश्ले-ाण करने के लिए प्रयोगशालाएं प्राधिकृत करना/ इन्हें मान्यता देना।

अध्याय -V

रजिस्ट्रीकरण और नवीकरण

9. रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन और अधिनियम की धारा *13* की उप धारा *(4)* के अधीन संदत की जाने वाली फीसः-

(1) तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति को **प्ररूप - I** में दिया जाएगा, जो जिला स्तरीय समिति के कार्यालय या प्राधिकरण के कार्यायल से मिलेगा अथवा प्राधिकरण के बेवसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

(2) निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दि-ट तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए उप-नियम (1) के अधीन भेजे जाने वाले प्रत्येक आवेदन के साथ उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में की गई तत्स्थानी प्रविं-टि में विनिर्दि-ट फीस भेजी जाएगी।

सारणी

	(1)	(2)
1.	5.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	200 रूपये प्रति हैक्टेयर (या एक हैक्टेयर के अंश के लिए), बशर्ते कि न्यूनतम 500 रूपये हो
2.	5.1 से 10 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्र	1000 रूपये + 5 हैक्टेयर से अधिक के लिए 500 रूपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)
3.	10.1 हैक्टेयर और इससे अधिक जल प्रसार क्षेत्र	3500 रूपये + 10 हैक्टेयर से अधिक के लिए 1000 रूपये प्रति हैक्टेयर (अथवा एक हैक्टेयर के अंश के लिए)

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस प्राधिकरण द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति के संयोजक सदस्य के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में देय होगी।

10. रजिस्ट्रीकरण के आवेदन पर विचार करने की रीति

1) नियम 9 के उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर जिला स्तरीय समिति फार्म के आकार को ध्यान में रखे बिना सभी तटीय जलकृ-ि फार्मों के संबंध में आवेदन में दिए गए ब्यौरों का सत्यापन करेगी और (क) 2.0 हैक्टेयर तक के जल प्रसार क्षेत्रों के तटीय जलकृ-ि फार्मों के मामलों में इस आवेदन में दी गई सूचना से समाधान होने पर जिला स्तरीय समिति आवेदन की संस्तुति रजिस्ट्रीकरण करने के विचारार्थ सीधे प्राधिकरण को भेजेगी तथा राज्य स्तरीय समिति को इसकी सूचना देगी।

(ख) 2.0 हैक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र के तटीय जलकृ-ि फार्मों के मामले में जिला स्तरीय समिति यह सुनिश्चित करने के लिए संबंधित फार्म का निरीक्षण करेगी कि फार्म तटीय जलकृ-ि फार्मों के स्थल के विनिर्दि-ट प्रतिनिर्देश में मार्गदर्शक सिद्धान्तों में विहित मानदंडों को पूरा करता है और ऐसे आवेदनों की राज्य स्तर समिति को संस्तुति करेगी, जो संतु-ट होने पर इनकी संस्तुति आगे रजिस्ट्रीकरण पर विचार करने के लिए प्राधिकरण को करेगी।

(2) आवेदन में कोई त्रुटि पाए जाने पर आवेदक का ध्यान विहित अवधि के अंदर त्रुटि दूर करने का अनुरोध करते हुए लिखित में आकृ-ट किया जाएगा और यदि ऐसी अवधि के अंदर त्रुटि दूर करने में आवेदक विफल रहता है तो रजिस्ट्रीकरण के लिए इंकार कर दिया जाएगा।

(3) रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर विचार करने की समय अनुसूची विनियमों में यथा-निर्दि-ट होगी।

(4) इस नियम के प्रयोजनार्थ जिला स्तरीय और राज्य स्तरीय समितियों की संरचना निम्नानुसार होगाः-

क. जिला स्तरीय समिति

(क)	जिला कलेक्टर	-	अध्यक्ष
(ख)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के राजस्व विभाग का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ग)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के कृ-ि विभाग का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(घ)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के पर्यावरण विभाग का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ङ)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र की जिला परि-ाद का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(च)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के मत्स्य विभाग का सहायक निदेशक/ जिला स्तरीय मत्स्य अधिकारी	-	सदस्य-संयोजक

ख. राज्य स्तरीय समिति

(क)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य सचिव भारसाधक	-	अध्यक्ष
(ख)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का राजस्व सचिव भारसाधक	-	सदस्य
(ग)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का पर्यावरण सचिव भारसाधक	-	सदस्य
(घ)	समुद्री उत्पाद विकास प्राधिकरण का प्रतिनिधि	-	सदस्य
(ङ)	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का मत्स्य निदेशक/ आयुक्त भारसाधक	-	सदस्य-संयोजक

(5) जिन मामलों में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर इंकार कर दिया जाता है उनमें ऐसे इंकार के कारण लिखित में दर्ज किए जाएंगे और इन कारणों की प्रति सहित आदेश की प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

(6) प्राधिकरण अथवा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी आवेदक से विनिर्दि-ट अवधि के अंदर कोई अतिरिक्त सूचना मांग सकता है जिसे वह रजि-ट्रीकरण/ नवीकरण के प्रयोजनार्थ आवश्यक समझता हो और हरेक आवेदक विनिर्दि-ट अवधि के अंदर ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

(7) यदि आवेदक मांगी गई सूचना देने में विफल रहता है अथवा गलत सूचना देता है तो प्राधिकरण आदेश द्वारा किसी तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण/ नवीकरण के आवेदन को इन्कार कर सकता है; इन्कार के आदेश तथा इसके कारण की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।

(8) उप नियम (5) में कुछ भी आवेदक को इस नियम के अधीन अस्वीकृति के 6 माह बाद रजिस्ट्रीकरण के लिए नया आवेदन करने से नहीं रोकता है, यदि आवेदक ने त्रुटियां सुधार ली हों और उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि वह प्राधिकरण द्वारा विनिर्दि-ट मानकों की पूर्ण अनुपालना कर सकता है तो नया आवेदन कर सकता है।

(9) यदि तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण की अवधि के दौरान उसका स्वामी फार्म में कोई परिवर्तन करना चाहता है, तो उसे कम से कम 30 दिन अग्रिम में प्राधिकरण को आवेदन देना होगा और प्राधिकरण इन परिवर्तनों को प्रभावित करने के आदेश पारित करने से पूर्व यथा आवश्यक जांच करेगा। जिन मामलों में प्राधिकरण परिवर्तन के लिए सहमत हो जाता है उनमें ऐसे परिवर्तनों के ब्यौरों की रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र में प्रवि-ि की जाएगी।

(10) कोई भी व्यथित व्यक्ति नियम 10 के उप नियम (5) के अधीन इन्कार करने के आदेश के खिलाफ इन्कार या रद्द करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के भीतर अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पु-ि कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

11. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र का उपयोग करने के लिए प्ररूप

जब रजिस्ट्रीकरण आवेदन को इन्कार नहीं किया जाता है तब रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र **प्ररूप-II** में मंजूर किया जाएगा और यह प्रमाण-पत्र में विनिर्दि-ट शर्तों तथा निबंधनों के अध्यधीन होगा।

12. रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का आवेदन तथा संपत की जाने वाली फीस

(1) तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की समाप्ति से 2 माह पूर्व प्राधिकरण को **प्ररूप-III** में दिया जाएगा और प्राधिकरण अगले 5 व-र् की अवधि के लिए रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए देय फीस नियम 9 के उप नियम (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए विनिर्दि-ट फीस के समान ही होगी।

(3) तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का प्रत्येक आवेदन जिला स्तरीय समिति को दिया जाएगा जो जांच करके इसे राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से प्राधिकरण को भेजेगी।

(4) रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण पर विचार करने की समय अनुसूची विनियमों में यथा निर्दि-ट होगी।

(5) जहां प्राधिकरण को यह समाधान है कि उक्त तटीय जलकृ-ि फार्म को आगे जारी रखना तटीय पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो वह रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करेगाः

परन्तु कि रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने से इन्कार करने से पूर्व प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति को सुनवाई करने का एक अवसर देगाः

परन्तु यह भी कि रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण करने के इन्कार करने के कारणों सहित आदेश की प्रति संबंधित व्यक्ति को भेजी जाएगी।

(6) कोई भी व्यथित व्यक्ति नवीकरण के इन्कार करने के आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर इसके खिलाफ अध्यक्ष के पास अपील कर सकता है, जो या तो इसकी पुन्टि कर सकता है, इसमें परिवर्तन कर सकता है अथवा ऐसे आदेश को अपास्त कर सकता है।

13. बजट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय

(1) प्राधिकरण प्रत्येक वित्तीय व-र्ा में अगले वित्तीय व-र्ा के लिए तटीय जलकृन्ि प्राधिकरण के लिए बजट तैयार करेगा और इसे मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार द्वारा यथा निश्चित तारीख को या उससे पूर्व केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(2) केन्द्र सरकार द्वारा बजट को मंजूरी दिए जाने तक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त खर्च के लिए मंजूरी प्राप्त होने तक कोई खर्च वहन नहीं किया जाएगा।

(3) बजट निम्नलिखित प्ररूप में या केन्द्र सरकार द्वारा यथा निदेशित प्ररूप में तैयार किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख किया जाएगाः-

(क) अनुमानित अथशे-ा;

(ख) अधिनियम की धारा 17 की उप धारा (1) में उल्लिखित अनुमानित प्राप्तियां;

(ग) निम्नलिखित व्यापक शी-र्ाों या केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित स्कीमों के अनुसार ऐसे अन्य शी-र्ाों के अधीन वर्गीकृत अनुमानित खर्च।

(i) प्रशासन;

(ii) विकास;

(iii) सांख्यिकीय;

(iv) निरीक्षण/ निर्माण कार्य;

(v) वित्तीय और अन्य सहायता/ राजसहायता स्कीम;

(vi) अन्य

टिप्पणीः- जहां कहीं लागू हो, प्रत्येक व्यापक शी-र्ा के लिए विभिन्न उप शी-र्ाों के अधीन पूर्ण ब्योरे दिए जाएंगे जिसमें अधिकारियों के वेतन, स्थापना का वेतन, भत्ते, मानदेय, आकस्मिकता खर्च और इसी प्रकार के खर्च सहित अनुमानित खर्च दर्शाए जाएंगे।

(4) खर्च के अनुपूरक अनुमान, यदि कोई हो, ऐसे प्ररूप में और ऐसी तारीख को केन्द्र सरकार की मंजूरी के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे जो इस संबंध में यथा निर्देशित हों।

14. वार्-िक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप तथा समय

(1) अध्यक्ष अथवा इस कार्य के लिए यथा प्राधिकृत प्राधिकरण का कोई कर्मचारी प्रत्येक वित्तीय व-र्ा की शुरूआत के बाद यथाशीघ्र वार्-िक रिपोर्ट तैयार करेगा जिसमें पूर्व वित्तीय व-र्ा के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों का लेखा-जोखा शामिल किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित सूचना शामिल होंगीः-

(क) कारपोरेट का विवरण प्राधिकरण के प्रचालनात्मक लक्ष्य तथा उद्देश्य

(ख) उप नियम (1) की पृ-ठभूमि में विभिन्न गतिविधियों में निर्धारित वार्-िक लक्ष्य और भौतिक तथा वित्तीय शर्तें एवं इन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक कार्यनि-पादन की संक्षिप्त समीक्षा

(ग) पूर्व वित्तीय व-र्ा के दौरान प्राधिकरण की गतिविधियों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और उन गतिविधियों का लेखा-जोखा, जिनके अन्य गतिविधियों के साथ चलाए जाने की संभावना है

(घ) पूर्व वित्तीय व-र्ा और रिपोर्ट के व-र्ा के दौरान वास्तविक वित्तीय परिणामों का सारांश

(ङ) महत्वपूर्ण नीति परिवर्तन और किए गए या किए जाने के लिए प्रस्तावित ऐसे विशि-ट उपाय जिनसे प्राधिकरण के लाभ या कार्यकरण प्रभावित हुए हैं या प्रभावित होने की संभावना है।

(च) परिकल्पित नई प्रस्तावित या विस्तार स्कीमें जिनके साथ उनके लाभ, वित्तीय जटिलताएं और कार्यनि-पादन के कार्यक्रम दिए जाएं;

(छ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन;

(ज) नियोजक-कर्मचारी संबंधों पर रिपोर्ट तथा प्राधिकरण की कल्याण गतिविधियां; और

(झ) ऐसे अन्य विविध वि-ायों पर रिपोर्ट, जो बाद में रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार या प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएं।

(2) वार्-िक रिपोर्ट को स्वीकार करने हेतु प्राधिकरण की बैठक में रखा जाएगा और इस पर अध्यक्ष द्वारा या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत 2 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे तथा इसे प्राधिकरण की आम मोहर लगाकर प्रमाणित किया जाएगा एवं इसकी अपेक्षित प्रतियां अगले व-र्ा दिसम्बर की 31 तारीख तक केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगीं।

15. प्राधिकरण के लेखों का रखरखाव करने का प्ररूप और रीति

(1) प्राधिकरण प्रत्येक व-र्ा के संबंध में सभी प्राप्तियों और खर्चों के लेखे रखेगा।

(2) रजिस्ट्रीकरण के लिए फीस के वास्ते एक अलग बैंक खाता रखा जायेगा।

(3) किसी विशे-ा वित्तीय व-र्ा में वहन किया गया खर्च अलग-अलग शी-र्ाों और उप शी-र्ाों के अधीन दर्शाया जाएगा।

(4) आदिशे-ा, यदि कोई हो, का इसी प्रकार अलग से उल्लेख किया जाएगा।

(5) व-र्ा का इतिशे-ा खर्च की ओर लेखों के पाद पर दर्शाया जाएगा।

(6) लेखों के संबंध में लेखा बही, अन्य बहियों का रखरखाव उस समय लागू विभिन्न सामान्य वित्तीय नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों, इन नियमों में अन्यथा के सिवाय समय-समय पर प्रवृत्त प्राप्ति और भुगतान नियमों, केन्द्रीय खजाना नियमों के प्रावधानों, वित्तीय शक्ति प्रदत्त नियमावली, 1958 और केन्द्र सरकार के सामान्य वित्तीय नियम 1962 में समय पर प्रवृत्त किया जाएगा, जो केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से उनमें दिए गए प्राधिकारी द्वारा किए गए ऐसे उपान्तरों या अनुकूलनों की शर्त के अध्यधीन होगा तथा प्राधिकरण के समस्त वित्तीय कारोबार के लिए लागू होगा।

[फा.सं. 33036/5/2005-मा0(टी-2)]

अजय भट्टाचार्य, संयुक्त सचिव

प्ररूप -I

(नियम 9 देखिये)

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण

कृ-ि मंत्रालय

तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

1. आवेदक (आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/ संस्था का नाम (स्थायी पते सहित) :
2. पत्राचार का पता :
3. क्या आवेदन
   (क) तटीय क्षेत्र में पहले से चल रहे जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है : हाँ/नहीं
   (ख) नए निर्माण किए जाने वाले जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए है : हाँ/नहीं
4. उस भूमि के ब्यौरे जिसके रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन दिया गया है :
   (क) राज्य :
   (ख) जिला :
   (ग) तालुक/ मंडल :
   (घ) राजस्व ग्राम :
   (ङ) सर्वेक्षण संख्या :
   (च) स्वामित्व का अधिकार (क्या फ्रीहोल्ड है अथवा लीज होल्ड है) :
   (छ) फार्म का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
   (ज) जल प्रसार का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) :
5. यदि उपर्युक्त भूमि सम्पूर्ण रूप में अथवा उसका कोई भाग निम्नलिखित किसी श्रेणी में आता है तो कृपया ब्यौरे दें :

श्रेणी	**ग्राम**	**सर्वेक्षण संख्या**	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)**
(क) कृ-ि भूमि			
(ख) वन भूमि			
(ग) ग्राम के आम प्रयोजन की भूमि			
(घ) जन प्रयोजन की भूमि			
(ङ) आर्द्र भूमि			
(च) कच्छ वनस्पति			
(छ) लवण पटल			

6. निम्नलिखित से इकाई स्थल की दूरी का उल्लेख करें

(क) ज्वार रेखा :

(ख) निकटतम पेय जल स्रोत :

(ग) कृ-ि भूमि :

(घ) कच्छ वनस्पति :

(ङ) समुद्री संरक्षित क्षेत्र :

(च) निकटवर्ती जलकृ-ि फार्म :

(छ) मानव रिहायश
(रिहायश की आबादी का उल्लेख करें) :

(ज) रा-ट्रीय पार्क :

(झ) अभयारण्य :

(ञ) आरक्षित वन :

(ट) प्रजनन अण्डजनन स्थल और अन्य जल जीव जीवन :

(ठ) बालू तट :

(ड) प्रवाल-भित्ति :

(ढ़) विरासत क्षेत्र :

7. जल कृ-ि इकाई के लिए जल स्रोत :

(क) समुद्र : हाँ/ नहीं

(ख) संकरी खाड़ी/ नदी मुख/ नहर/ दूरवर्ती जल : हाँ/ नहीं

(ग) यदि जल स्रोत का उल्लेख उपर्युक्त (ख) में किया गया हैं तो स्रोत का नाम लिखें :

8. विद्यमान जलकृ-ि फार्म के प्रचालन शुरू होने की तारीख :

9. * निम्न ब्यौरे देते हुए परियोजना रिपोर्ट दें प्रचालन में/ प्रस्तावित जलकृ-ि फार्म के डिजाइन और ले-आउट का रेखाचित्र (पैमाने पर) तथा प्रचालनात्मक ब्यौरे, जल प्राप्ति तथा दू-ित जल उपचार सुविधा के ब्यौरे भी दें :

10 क्या जलकृ-ि फार्म के संबंध में इसके पड़ोस में अन्य भूमि के उपयोग के संदर्भ में और परियोजना रिपोर्ट में यथा-उल्लिखित इकाई के प्रचालनात्मक ब्यौरों के आधार पर जलकृ-ि फार्म के पर्यावरण पर पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0)/ पर्यावरण प्रबंधन योजना (ई0एम0पी0) का कार्य किया गया था, कृपया विशि-ट रूप से उल्लेख करें कि क्या :

(क) जलकृ-ि गतिविधि का प्रभाव निकटवर्ती क्षेत्रों में जल जमाव के रूप में या पेयजल स्रोतों को प्रदू-ित करने के रूप में पड़ेगा। :

(ख) अनुपूरक चारे/ औ-ाधियों/ दवाओं आदि का उपयोग करने के परिणामस्वरूप अवसादन बढ़ेगाः जो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगा। :

(ग) ऐसी गतिविधि से गाद जमा होगी, जल गंदला होगा, जिससे स्थानीय जीवन और वनस्पति पर खराब प्रभाव पड़ेगा :

11 *यदि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ई0आई0ए0) किया गया है तो कृपया रिपोर्ट संलग्न करें :

12 * यदि पर्यावरण प्रबंधन योजना(ई0एम0पी0) तैयार की गई है तो कृपया ब्यौरे दें :

13 * यदि एफल्यूएंट उपचार प्रणाली(ई0टी0एस0) प्रचालन में है/ प्रस्तावित है, तो कृपया रेखाचित्र (ले-आउट), डिजाइन और तकनीकी ब्यौरे दें :

14 अनुदेशिका शुल्क प्रेि-ात करने के ब्यौरे :

घो-णा

मैं/हम ....., पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ....., निवासी ..... एतद्द्वारा घो-णा करता हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मुझे/ हमें पूर्ण जानकारी है कि यदि यह पता चलता है कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है अथवा उनमें कुछ छिपाया गया है/ उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है, जिन पर प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र दिया जा सकता है तो जारी किया गया रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र या तो निलम्बित कर दिया जाए अथवा रद्द कर दिया जाए।

आवेदक(आवेदकों) के हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

* 2(दो) हैक्टेयर क्षेत्रफल से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाले फार्मों के लिए लागू।

प्ररूप -II

(नियम 11 देखिये)

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण

कृ-ि मंत्रालय

तटीय जलकृ-ि फार्म का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 की धारा 13 और तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण नियमावली, 2005 के नियम 11 के अधीन

रजिस्ट्रीकरण संख्या **तारीख**

श्री/ श्रीमती/ सुश्री ....., पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ....., निवासी ..... का तटीय जलकृ-ि फार्म दिनांक ..... की संख्या ..... द्वारा तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण किया जाता है।

<u>इकाई और अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी के ब्यौरे</u>

1. फार्म का स्थल

   राज्य **जिला** **तालुक/मंडल** **राजस्व ग्राम**

2. सर्वेक्षण संख्या
   1) फार्म का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)
      (क) फार्म का कुल क्षेत्रफल
      (ख) जल प्रसार का कुल क्षेत्रफल
   2) पालन की जाने वाली प्रजातियां
   3) स्टाक रखने का घनत्व
   4) प्रति व-र् फसल संख्या

प्रमाण-पत्र जारी करने वाले
अधिकारी के हस्ताक्षर

स्थानः

तारीखः

(प्राधिकरण की मुहर)

तटीय जलकृ-ि फार्म के रजिस्ट्रीकरण की शर्तें

1. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र तटीय जलकृ-ि अधिनियम, 2005, तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण नियमावली, 2005 और तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण विनियम, 2005 तथा इनके अधीन जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों की शर्त के अधीन अनुदत किया जाता है।
2. रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अहस्तांतरणीय है।
3. ले आउट, डिजाइन, क्षेत्रफल और स्टाक रखने, घनत्व (अथवा) अन्य मामले में किसी भी परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन लिया जाना चाहिए।
4. पर्यावरणीय अपेक्षाएं मार्गदर्शक सिद्धान्तों तथा समय-समय पर तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी विनियमों के अनुरूप होनी चाहिएं।
5. तटीय जलकृ-ि फार्म का स्वामी ऐसे अन्य अनुदेशों/ शर्तों का भी अनुपालन करेगा जो समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी की जाएंगी।

प्ररूप -III

(नियम 12 देखिये)

तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण

कृ-ि मंत्रालय

झींगा जलकृ-ि करने के लिए तटीय जलकृ-ि प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन

1. आवेदक(आवेदकों)/ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी/ स्थापना का(के) नाम :
2. पत्राचार का पता :
3. फार्म का स्थान/ भूमि के ब्यौरे जिसके लिए अनुमोदन जारी किया गया था :
   - (क) कुल क्षेत्र और प्रसार क्षेत्र :
   - (ख) फार्म/ तालाब की सर्वेक्षण संख्या :
   - (ग) ग्राम :
   - (घ) तालुक :
   - (ङ) जिला :
   - (च) अपनाया गया स्टाक रखने का औसत घनत्व(संख्या/ वर्ग मीटर में) :
   - (छ) प्राप्त औसत उत्पादन (किलोग्राम/ हैक्टेयर/ फसल) :
   - (ज) अपनाई गई प्रौद्योगिकी :
   - (झ) प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण की संख्या और तारीख (प्राधिकरण द्वारा जारी अनुमोदन की फोटोप्रति संलग्न होगी) :
4. अनुदेशिका शुल्क प्रेि-त करने के ब्यौरे :

घो-णा

मैं/हम ....., पुत्र/ पुत्री/ पत्नी ....., निवासी ..... एतद्द्वारा घो-णा करता हूं/ करती हूं/ करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है। मेरे/ हमारे द्वारा चलाए गए झींगा पालन प्रचालन से न तो पर्यावरण प्रदू-ित हुआ है और ना ही निकटवर्ती क्षेत्र की पारिस्थितिकी को क्षति हुई है। मुझे/ हमें इस बात की पूर्ण जानकारी है कि यदि यह पाया जाता है कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई सूचना गलत है और उसमें कुछ छिपाया गया है/ उन शर्तों का उल्लंघन किया गया है जिन पर प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रीकरण अनुदत किया गया था तो मुझे/ हमें अनुदत किया गया प्राधिकार/ नवीकरण निलम्बित अथवा रद्द किया जा सकता है।

तारीखः
स्थानः

आवेदक(आवेदकों)
के हस्ताक्षर